<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला बालाघाट(म०प्र०)</u>

प्रकरण क्रमांक 555 / 14 संस्थित दिनांक—20 / 06 / 14 फा.नंबर 234503000682014

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोगी

//विरूद्ध//

- 1. मेहतरलाल उर्फ सिल्ली वल्द दादूलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी—बाहीटोला थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0।
- 2. टोपराम पिता ईश्वरी चौधरी जाति पवार, उम्र 42 वर्ष खरपडिया थाना परसावाड़ा जिला बालाघाट म०प्र०।
- 3.हरिहर पिता धरमलाल टेम्भरे उम्र 55 वर्ष निवासी सितापुर थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म०प्र०।

....अारोपीगण

:<u>: निर्णय ::</u> दिनांक **13.11.2017** को घोषित

01. अभियुक्त मेहतर उर्फ सिल्ली के विरूद्ध भा.दं०सं० की धारा—279, 337 भा.द.वि. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 13.04.14 को समय 06:30 बजे ग्राम बिरवा थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने स्वामित्व के वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50/बी.—3163 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया व आहत सरोज यादव को चोट पहुँचाकर उपहित कारित की तथा उक्त मोटरसाईकिल को बिना किसी वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया एवं अभियुक्त टोपराम के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा—146/196, 5/180, 50(क)/177 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी से बिना बीमा के चलवाया तथा अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को रिजस्ट्रीकर्ता

प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की तथा अभियुक्त हरिहर के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 50(ख) / 177 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है उसने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन के रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की।

- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02. 13.04.14 को डॉ० एन.एस.क्मरे सी.एच.सी. बैहर से अस्पताल तहरीर की जांच की जाकर आहत सरोज एवं साक्षियों के कथन लिये गये। उक्त जांच में पाया गया कि दिनांक 13.04.14 को 06:30 बजे पूजा करने जाते समय मोटरसाईकिल चालक सिल्ली यादव ने मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.50/बी-3163 को तेजगति लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत सरोज यादव को पीछे से ठोस मार दिया, जिससे उसे चोटें आयी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिये गये। मौका-नक्शा, जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही की गई। आरोपी मेहतरलाल उर्फ सिल्ली को गिरफ्तार कर एवं आरोपी के पास लाईसेंस तथा बीमा न होने से मो.व्ही.एक्ट की धारा 3 / 181, 146 / 196 एवं वाहन मालिक टोपराम द्वारा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी से बिना बीमा के चलवाया तथा अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की तथा अभियुक्त हरिहर द्वारा खरीद बिक्री की सूचना आर.टी.ओ. प्राधिकारी को न देने से मो.व्ही.एक्ट की धारा-5 / 180, 146 / 196, 50(1)क / 177, 50(1)ख / 177 का ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्त्त किया गया।
- 03. अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा—313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

- (1) क्या आरोपी मेहतरलाल उर्फ सिल्ली ने दिनांक 13.04.14 को समय 06:30 बजे ग्राम बिरवा थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर अपने स्वामित्व के वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50 / बी—3163 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- (2) क्या आरोपी मेहतरलाल उर्फ सिल्ली ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत सरोज यादव को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी मेहतरलाल उर्फ सिल्ली ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस एवं बीमा के चलाया ?
- (4) क्या आरोपी टोपराम ने उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारक से बिना बीमा के चलावाया तथा अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में सूचना नहीं दी ?
- (5) क्या आरोपी हरिहर ने अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अवधि में सूचना नहीं दी ?

ःसकारण निष्कर्षः विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05. सरोज यादव (अ.सा.०1) का कहना है कि वह आरोपी को जानती है। घटना 13 अप्रैल, 2014 को शाम के 06:00 बजे उसके गांव कोहका की है। घटना दिनांक को वह दुर्गा मंदिर पूजा करने अपने साईड से जा रही थी, तभी अरोपी ने अपनी मोटरसाईकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गिर गयी और उसकी साड़ी मोटरसाईकिल में फंस गयी। घटना में उसे दोनों पैर के घुटने, दाहिने हाथ की

कलाई एवं पैर की अंगुली में चोट लगी थी, जिससे उसकी अंगुली टेढ़ी हो गयी थी। घटना में वह बेहोश हो गयी थी, उसके पेट में नौ माह का बच्चा था, जो टेढ़ा हो गया था। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- सरोज यादव (अ.सा.०1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह 06. अस्वीकार किया कि घटना के समय अंधेरा था और बहुत से वाहनों का आवागमन हुआ था। उसके सामने उसकी जेठानी और पीछे अन्य व्यक्ति था। साक्षी के अनुसार सामने उसके पति थे और जेटानी साथ में थी। यह अस्वीकार किया कि वह सडक के दाहिनी ओर चल रही थी। साक्षी के अनुसार वह अपने साईड बांई ओर सड़क के किनारे थी। यह अस्वीकार किया कि उसे गांववालों ने बताया था कि गाडी सिल्ली की थी। साक्षी के अनुसार उसने स्वयं देखा था कि गाड़ी सिल्ली की थी। यह अस्वीकार किया कि उसके गिरने पर सिल्ली उसे उठाने के लिये आया था। साक्षी के अनुसार सिल्ली एक्सीडेंट करके भाग गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि सिल्ली उसे उठाने आया था, इसलिये उसने उसे प्रकरण में फंसा दिया है उसका और सिल्ली के परिवारवालों का जमीन का झगडा है और वह स्वयं सडक पर पत्थर से टकराकर गिर गई थी और उसे सिल्ली ने कोई टक्कर नहीं मारी थी और ना ही उसे कोई चोट आई थी। साक्षी की साक्ष्य घटना के संबंध में अखंडनीय है. जिसपर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।
- 07. साक्षी खेमराज(अ.सा.06) का कहना है कि वह आरोपी मेहतरलाल उर्फ सिल्ली को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से करीब तीन साल पूर्व शाम के छः—सात बजे ग्राम कोहका दुर्गा मंदिर के पास की है। वह उसकी पिन और भाभी के साथ मंदिर पूजा करने के लिए जा रहा था। वह आगे था, तभी आरोपी सिल्ली अपनी मोटरसाईकिल लेकर आया और उसकी पिन सरोज को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वह गिर गयी। घटना में सरोज को

पेट, घुटने व कमर पर चोट आयी थी। आरोपी सिल्ली घटना के बाद अपनी मोटरसाईकिल लेकर भाग गया था। उसे आरोपी की मोटरसाईकिल का नम्बर याद नहीं था। घटना आरोपी चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि वह लोग साईड से जा रहे थे और आरोपी ने पीछे से आकर टक्कर मार दी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- साक्षी खेमराज (अ.सा.०६) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया कि घटना के समय अधेरी रात थी। साक्षी के अनुसार ज्यादा अंधेरा नहीं था। यह स्वीकार किया कि जब उसकी पत्नी ने चिल्लाई, तब उसे मालूम हुआ था। यह अस्वीकार किया कि उसकी भाभी उससे आगे थी और वह बीच में था तथा उसकी पत्नि पीछे थी। साक्षी के अनुसार वह आगे चल रहा था, उसकी भाभी और पत्नि पीछे थी। यह अरवीकार किया कि उसकी पत्नि के आवाज आने के समय दो-तीन मोटर सायकिल और गुजरी थी। यह अस्वीकार किया कि घटना के बाद आरोपी सिल्ली पूछने के लिये आया था और इसी कारण से आरोपी पर शक हुआ था। साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को घटना कर भागते हुए देखा था। यह अस्वीकार किया कि उसकी पत्नि की दुर्घटना नहीं हुई थी, क्योंकि दुर्घटना होने पर वह उसके पास गिरती। साक्षी के अनुसार वह थोड़ा आगे था। यह अस्वीकार किया कि घटना के समय वह आरोपी की मोटर सायकिल को नहीं देखा पाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी उसका रिश्तेदार है। यह अस्वीकार किया कि आरोपी की मॉ के साथ उनका जमीन का झगडा चल रहा है और इसी कारण से उसने आरोपी को झूटा फंसाया है। उक्त साक्षी ने भी अपनी अखंडनीय साक्ष्य में अभियोजन कहानी का समर्थन किया है।
- 09. डॉ० एन.एस.कुमरे (अ०सा०–०३) का कहना है कि वह दिनांक 13.04.14 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा एक तहरीर टी.आई. बैहर को दी गयी थी, जिसमें लेख है कि उसके द्वारा सरोज पति खेमराज को आई चोटों के कारण भर्ती किया गया था। आहत के अनुसार चोट एक्सीडेंट में मोटरसाईकिल से होना बताया

था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक रोहित नम्बर 1250 द्वारा लाने पर आहत सरोज का परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत को कंट्यूजन विथ एब्रेजन दाहिने घुटने के सामने तरफ, एब्रेजन दाहिने पैर के उपरी भाग पर, कंट्यूजन मुंह पर ठुड़डी के पास होना पाया था। आहत होश में थी और हृदय तथा स्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे तथा पेट की जांच करने पर उसे लगभग 32—36 सप्ताह का गर्भ होना पाया था, उसके मतानुसार सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी कड़ी व बोथरी वस्तु से आ सकती थी। उक्त चोटें जांच के 06 घंटे के अंदर की थी। आहत को देख—रेख हेतु भर्ती किया गया था। उसके द्वारा की गई परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि कोई व्यक्ति लुड़कते हुए खुरदुरे सतह पर गिरे तो उक्त चोट आ सकती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि आहत का घरेलू उपचार किया गया हो तो वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार उसके द्वारा भर्ती कर उपचार किया गया है।

साक्षी लखन भिमटे(अ.सा.05) का कहना है वह दिनांक 27.04.14 को पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 13.04.14 को अस्पताल बैहर से एक तहरीर डॉ० कुमरे की प्राप्त होने पर आहत सरोज पति खेमराज को मोटरसाईकिल से चोट आने पर अस्पताल तहरीर की जांच पर अपराध कृमांक 78 / 14 धारा—279, 337 भा.दं.सं. एवं 184 मो.व्ही.एक्ट के तहत मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी-3163 चालक के विरूद्ध पंजीबद्ध किया था। उक्त रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 28.04.14 को घटनास्थल पर जाकर प्रार्थिया सरोज की निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.01 बनाया था. जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को गवाह श्रीमति सरोज, खेमराज, सुशीलाबाई, के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही गवाह साहूलाल एवं पीतमलाल के समक्ष अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल वाहन क एम.पी.50 / बी-3163 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को गवाहों के समक्ष अभियुक्त को गिरफुतार कर गिरफुतारी पत्रक प्र.पी.03 बनाया था,

जिसके बी से बी भा गग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण जमानतीय होने पर जमानत मुचलके पर मेहतरलाल उर्फ सिल्ली को रिहा किया गया था।

- 11. साक्षी लखन भिमटे(अ.सा.05) के अनुसार दिनांक 12.05.15 को मेहतरलाल उर्फ सिल्ली को धारा—133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस जारी किया गया था, जो प्र.पी.06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी का अंगूठा निशानी है। वाहन स्वामी हरिहर सिंह टेम्भरे निवासी सीतापुर को नोटिस जारी किया गया था, उक्त नोटिस पर अपना जवाब प्रेषित किया है, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर वाहन स्वामी के हस्ताक्षर है। दिनांक 12.06.16 को वाहन मालिक टोपराम चौधरी को धारा—133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस प्रेषित किया गया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वाहन मालिक टोपराम द्वारा उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया जो प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर टोपराम के हस्ताक्षर है।
- 12. साक्षी लखन भिमटे(अ.सा.०५) के अनुसार दिनांक 12.05.14 को गजेन्द्र पटले बैहर से जप्तश्रदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था। आरोपी मेहतरलाल के पास लाईसेंस एवं बीमा न होने एवं वाहन मालिक द्वारा मोटरसाईकिल की खरीद बिक्री की सूचना आर.टी.ओ. प्राधिकारी को न देने से धारा-3/181, 146 / 196, 50(1)क / 177 एवं 50(1)ख / 177 का ईजाफा किया गया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक से सूचना प्राप्ति तक के विलंब को उसके द्वारा दर्शित नहीं किया गया है, किन्त् यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने मन से लेख किया था तथा उसके द्वारा मौका-नक्शे में घटनास्थल को दर्शित नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया कि अपराध विवरण तैयार किये जाते समय मौका-नक्शा बनाया गया। साक्षी के अनुसार मौका-नक्शा उसी को कहते है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि मौका-नक्शा विलंब से तैयार किया गया है तथा वाहन के दस्तावेज उसे अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुये थे, उसे महतलाल से कोई

वाहन के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुये थे तथा उसे मेहतलाल ने कोई दस्तावेज नहीं दिया था।

- साक्षी साधुलाल(अ.सा.02) का कहना है कि वह आरोपी 13. मेहतरलाल एवं प्रार्थी सरोज को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही कोई बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष मोटर सायकिल जप्त नहीं की थी और ना ही आरोपी को गिरफतार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष पुलिस ने मोटर सायकिल एम.पी. 50 / बी-3163 मय कागजात प्र.पी.02 के अनुसार जप्त की थी, परन्त उसके प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफ़्तारी पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 पर उसने थाने में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था, उसके समक्ष ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।
- 14. साक्षी सुशीलाबाई (अ.सा.04) का कहना है कि वह आरोपी को जानती है और प्रार्थी को नहीं जानती है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही कोई बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों से स्पष्ट इंकार किया कि दिनांक 13.04.2014 को शाम साढ़े छः बजे सरोजबाई के साथ दुर्गा मंदिर पूजा करने जा रही थी, तो मोहगांव तरफ से मोटर सायिकल चालक ने पीछे से सरोजबाई को ठोस मार दिया था, जिससे उसे चोट लगी थी और मोटर सायिकल चालक को सिल्ली यादव कह रहे थे, जो टक्कर मारकर मोटर सायिकल सिहत भाग गया था। उसने और हेमराज ने सरोजबाई को बैहर अस्पताल में भर्ती किये थे। मोटर सायिकल चालक द्वारा तेज गित एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर घटना कारित की गई थी। साक्षी ने प्र.पी.05 का पुलिस कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया।

15. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मेहतरलाल उर्फ सिल्ली ने वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.50 / बी.—3163 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर आहत सरोज यादव को टक्कर मारकर उपहित कारित की, क्योंकि घटना की आहत सरोज यादव अ.सा.06 ने आरोपी द्वारा तेज गित से वाहन चलाकर पीछे से आकर उसकी मोटर साईकिल को टक्कर मारने के अखण्ड़नीय कथन किये है तथा मौका नक्शा प्र.पी.01 से घटनास्थल सड़क किनारे होने की पुष्टि होती है। यद्यपि मात्र अभियोजन साक्षियों के वाहन के तेज गित से चालन के कथन के आधार पर उक्त संबंध में कोई उपधारण नहीं की जा सकती। तथापि सड़क से अपनी दिशा में जाने के दौरान पीछे से मोटर साईकिल से टक्कर मारकर परिवादी सरोज यादव को उपहित कारित करने के कृत्य से उतावलेपन और उपेक्षा का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत— अब्बुल सत्तार विरुद्ध राज्य 1980 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन.181 तथा राज्य विरुद्ध सरदारसिंह 1979 एम.पी.डब्ल्यू.एन.57 अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 03, 04 तथा 05

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु विचारणीय प्रश्न कमांक 03, 04 एवं 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

16. साक्षी लखन भिमटे (अ०सा०—०५) के अनुसार आरोपी मेहतरलाल के पास लाईसेंस एवं बीमा न होने एवं वाहन मालिक टोपराम द्वारा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारक से बिना बीमा के चलवाया तथा मोटर साईकिल की खरीद बिक्री की सूचना आर.टी. ओ. प्राधिकारी को नहीं दिया तथा आरोपी हरिहर द्वारा उक्त मोटर साईकिल की खरीद बिक्री की सूचना आर.टी.ओ. प्राधिकारी को नहीं देने से मो.व्ही. एक्ट की धारा—3 / 181, 5 / 180, 146 / 196, 50(1)क / 177 एवं 50(1)ख / 177 का ईजाफा किया गया था। उक्त विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था कि उसके द्वारा घटना के समय वाहन को बिना बीमा तथा लाईसेंस के नहीं चलाया जा रहा था, परंतु उसके द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई

तथ्य प्रकट किये हैं। शेष आरोपीगण द्वारा भी आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं की गई है। फलतः उक्त संबंध में साक्षी लखन भिमटे(अ.सा.05) की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं होता।

- 17. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त मेहतरलाल उर्फ सिल्ली द्वारा अपने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50 / बी.—3163 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत सरोज यादव को चोट पहुंचाकर उपहित कारित की एवं उक्त मोटरसाईकिल को बिना किसी वैध लाईसेंस एवं बीमा के चलाया एवं अभियुक्त टोपराम ने उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी से उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया तथा अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अविध में रिपोर्ट नहीं की तथा अभियुक्त हरिहर ने उक्त वाहन के रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिर्दिष्ट अविध में रिपोर्ट नहीं की।
- **18.** फलतः अभियुक्त मेहतरलाल उर्फ सिल्ली को धारा—279, 337 भा.द.वि. तथा मो.या.अधि. की धारा—3 / 181, 146 / 196 एवं अभियुक्त टोपराम को मोटर यान अधिनियम की धारा—146 / 196, 5 / 180, 50(क) / 177 तथा अभियुक्त हरिहर को मोटर यान अधिनियम की धारा—50(ख) / 177 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 19. अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उन्हें अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त मेहतरलाल उर्फ सिल्ली द्वारा कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं। जिस हेतु पृथक—पृथक दण्ड की प्रणीतिन्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरूत्तर अपराध के लिए

दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

- 20. अतः अभियुक्त मेहतरलाल उर्फ सिल्ली को धारा—337 भा.दं०सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 / —(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मोटर यान अधिनियम की धारा—3 / 181 के अपराध के लिए 500 / —(पाच सौ) रूपये तथा धारा—146 / 196 के अपराध के लिए 1,000 / —(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त टोपराम को मोटर यान अधिनियम की धारा—146 / 196, 5 / 180, 50(क) / 177 के अपराध के लिये क्रमशः 1000, 1000, 100 / —(दो हजार एक सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त हरिहर को मोटर यान अधिनियम की धारा—50(ख) / 177 के अपराध में दोषी पाते हुए 100 / —(एक सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उपराध में दोषी पाते हुए 100 / —(एक सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
- 21. अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक—एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। फरियादी सरोज यादव के अनुसार घटना के समय गर्भवती होने से घटना के दौरान आयी चोट से उसका 09 माह का बच्चा टेढ़ा हो गया था। यद्यपि बच्चा टेढ़ा होने के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि आहत सरोज यादव की मुलाहिजा रिपोर्ट से घटना के समय उसका गर्भवती होना प्रमाणित होता है। अतः आरोपी मेहतरलाल उर्फ सिल्ली को धारा—357(3) दं.प्र.सं. के अधीन आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी सरोज यादव को हुई क्षति के लिये क्षतिपूर्ति स्वरूप उसे राशि 10,000 /—(दस हजार) रुपये अदा करेगा।
- 22. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि धारा—357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आहत सरोज यादव को अपील अविध पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 23. अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, उक्त

संबंध में धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

- 24. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 25. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मोटर साईकिल क्रमांक ए.पी. 50 / बी—3163 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 26. अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / — (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

